

## खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश।

### उ0प्र0 राज्य खाद्य आयोग में सदस्य के रिक्त 03 पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन का विज्ञापन (01 अनारक्षित, 01 महिला एवं 01 अनुसूचित जनजाति वर्ग हेतु)

उत्तर प्रदेश शासन, खाद्य एवं रसद अनुभाग-6, द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-2740/29-6-2015-115सा0-14, दिनांक 16 नवम्बर, 2015 द्वारा उ0प्र0 राज्य खाद्य आयोग नियमावली 2015 एवं अधिसूचना संख्या-2946/29-6-2016-115सा0/14, दिनांक 14.12.2016 द्वारा उक्त नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुये उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग (प्रथम संशोधन) नियमावली 2016 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नियमावली (यथा संशोधित) के अन्तर्गत गठित उ0प्र0 राज्य खाद्य आयोग में वर्तमान में अध्यक्ष (अ0पि0वर्ग/पुरुष) के अतिरिक्त 02 सदस्य (01 अनुसूचित जाति वर्ग/महिला तथा 01 सदस्य अ0पि0वर्ग/पुरुष) तथा सदस्य सचिव (सामा0/पुरुष वर्ग) कार्यरत हैं। इस प्रकार वर्तमान में आयोग में 03 पद, जिनमें से 01 अनारक्षित, 01 महिला एवं 01 अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य होंगे, रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों में से रिक्त 02 पदों (01 महिला एवं 01 अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य) के सापेक्ष सदस्यगण की नियुक्ति हेतु शासन के पत्र संख्या-1896/29-6-2016-115सा/14, दिनांक 13.08.2018 के क्रम में दिनांक 24 अगस्त, 2018 को तथा रिक्त 01 अनारक्षित पद के सापेक्ष शासन के पत्र संख्या-1423/29-6-2019-115सा0/14, दिनांक 28 अगस्त, 2019 के क्रम दिनांक 18.10.2019 को समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराए जाने के उपरान्त आवेदनपत्र प्राप्त किए जा चुके हैं।

उक्त के क्रम में पुनः शासन के पत्र संख्या-1672/29-6-2020, दिनांक 15.09.2020 द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है :-

*“...उ0प्र0 राज्य खाद्य आयोग में रिक्त 03 पदों में से 02 पदों पर चयन हेतु विज्ञापन दिनांक 23.08.2018 को तथा 01 पद पर चयन हेतु विज्ञापन 18.10.2019 को प्रकाशित कराया गया था। उपरोक्त 03 पदों हेतु विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनपत्रों को बनाये रखते हुए इन पदों हेतु अन्य व्यक्तियों के आवेदन पत्र भी विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त किये जाने का निर्णय लिया गया है।”*

अतः शासन के उक्त पत्र द्वारा उ0प्र0 राज्य खाद्य आयोग के रिक्त 03 पदों पर विज्ञापन कराये जाने हेतु लिए गए निर्णय के क्रम में उक्तवत् प्रकाशित कराए गए विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनपत्रों को बनाये रखते हुए अन्य इच्छुक व्यक्तियों से निम्न प्रारूप पर विज्ञापन आमंत्रित किए जाते हैं :-

#### उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य पद हेतु आवेदन का प्रारूप

- |    |  |   |       |  |
|----|--|---|-------|--|
| 1. | पद, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है   | - | ..... |  |
| 2. | आवेदक का नाम   | - | ..... |  |
| 3. | पिता/पति का नाम  | - | ..... |  |
| 4. | लिंग (महिला/पुरुष)   | - | ..... |  |
| 5. | पता (पत्राचार)   | - | ..... |  |
|    |  | - | ..... |  |
| 6. | स्थायी पता   | - | ..... |  |
|    |  | - | ..... |  |
| 7. | वर्ग (सामा0/अ0पि0व0/अ0जा0/अ0ज0जा0)   | - | ..... |  |
| 8. | क्या आवेदक द्वारा 45 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गयी है (जन्म तिथि/आयु का स्पष्ट उल्लेख, मय साक्ष्य) | - | ..... |  |

9.	क्या आवेदक अनुमोचित दिवालिया हैं अथवा नहीं	—	.....
10.	क्या आवेदक किसी अपराध, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, के लिये दोष सिद्ध एवं कारावास से दण्डित किया गया है अथवा नहीं	—	.....
11.	क्या आवेदक को किसी मा0 सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया है अथवा नहीं	—	.....
12.	<b>सदस्य पद हेतु अर्हता :-</b>		
(क)	क्या आवेदक अखिल भारतीय सेवा या संघ या राज्य की किसी अन्य सिविल सेवा के सदस्य हैं या रहे हैं या संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारक हैं और जिन्होंने कृषि, खाद्य तथा रसद, पोषण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी सम्बन्धित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति निर्माण और प्रशासन से सम्बन्धित मामलों में या तो पृथक रूप से या सम्मिलित रूप से कम से कम दो वर्ष कार्य किया है (साक्ष्य संलग्न करते हुये विस्तृत विवरण दें), या	—	.....
(ख)	क्या आवेदक कृषि, मानवाधिकार विधियों, सामाजिक सेवा, प्रबन्धन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य नीति या लोक प्रशासन में कम से कम तीन वर्ष के कार्यानुभव के साथ व्यापक ज्ञान वाले सार्वजनिक जीवन के प्रख्यात व्यक्ति हैं (साक्ष्य संलग्न करते हुये विस्तृत विवरण दें), या	—	.....
(ग)	क्या आवेदक गरीबों के खाद्य एवं पोषण अधिकारों में सुधार से सम्बन्धित कार्यों में प्रामाणिक कीर्तिमान धारक हैं (साक्ष्य संलग्न करते हुये विस्तृत विवरण दें)।		
	<b>(स्पष्टीकरण —</b> किसी ऐसे व्यक्ति को कार्य हेतु प्रामाणिक कीर्तिमान धारक कहा जायेगा, यदि उसने सम्बन्धित क्षेत्र में कोई राज्य, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया हो या सम्बन्धित क्षेत्र में अपने कार्य के लिये ऐसा पुरस्कार प्राप्त करते हुये किसी संगठन के लिये कम से कम दो वर्षों के लिये कार्य किया हो।)	—	.....

### उद्घोषणा

मैं ..... घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपर्युक्त सूचनायें पूर्णतः सत्य हैं तथा मेरे द्वारा किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

दिनांक/स्थान —

हस्ताक्षर

मोबाईल नं० —

नोट :-

1. इच्छुक व्यक्ति आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भर कर, वांछित अभिलेखों एवं प्रपत्रों को संलग्न करते हुये कार्यालय – आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, द्वितीय तल, जवाहर भवन, लखनऊ के नाम, लिफाफे पर “उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र” अंकित करते हुये आवेदन की अन्तिम तिथि तक रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक द्वारा उपलब्ध करा सकते हैं। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट डाक के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम एवं अन्तिम तिथि के उपरान्त स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
2. आवेदन पत्र के बिन्दु संख्या-7, 8, तथा 12 में अंकित सूचनाओं हेतु साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
3. आवेदन पत्र जमा किये जाने की अन्तिम तिथि – 20 अक्टूबर, 2020 है।
4. उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य आयोग नियमावली-2015 (यथा संशोधित) के समस्त प्रावधान नियुक्ति हेतु लागू होंगे। यह नियमावली विभागीय वेबसाइट [fcs.up.nic.in](http://fcs.up.nic.in) पर उपलब्ध है।